मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान / कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :– शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

शैलेन्द्र सिंह चौधरी S/o जगदीश जाति जाट निवासी करणपुरा बनाम 1. जगदीश S/o रामजीलाल 2. राजवीर 3. रोशनी 4. मन्जु पि० जगदीश जाति- जाट नि० करणपुरा 5. राज० सरकार जरिये तहसीलदार भादरा

दावा बाबत :– 88, 89 RT Act

मुकदमा नम्बर :– 146/2021

निर्णय दिनांक :– 18/11/2021

वादी की ओर से वकील विनोद पूनियां की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख..................को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा करणपुरा बारानी के खाता संख्या 75/108 के खसरा नं० 111, 124/3, 127, 751/280 इस प्रकार कुल खसरा 4 की कुल 5.724 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, में से प्रतिवादी जगदीश का नाम कलमजन किया जाकर वादी शैलेन्द्रसिंह चौधरी व प्रतिवादी संख्या 2 राजवीर को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं, चूंकि प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक में तर्क कर शून्य कर लिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा हो। यदि उक्त भूमि बैंक के रहन है, तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। राजीनामा को डिक्री का भाग पढ़ा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

शकुंतला चौधरी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (हनुमानगढ़)